न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 125/2020 अपील (GCMS/2020/00130)
पंजीयन दिनांक - 24.01.2020
निर्णय दिनांक - 24.08.2021

1. श्री केसरसिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया,
2. श्री प्रतापसिंह पिता श्री सवसिंह सिसोदिया,
3. श्री ओनारसिंह पिता श्री भैरूसिंह सिसोदिया,
4. श्री झालमसिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया,
5. श्री भंवरसिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया,
6. श्री मनोहरसिंह पिता श्री तेजसिंह सिसोदिया,
7. श्री मनोहरसिंह पिता श्री रतनसिंह सिसोदिया

सर्व निवासीयान ग्राम वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

1. राजकीय उच्च प्रा.विद्यालय, वसु जरिये प्रधानाध्यापक
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. ग्रांम पंचायत वसु, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री अजयसिंह हाडा - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2

प्रकरण संख्या-36/2019, अनवान श्री केसरसिंह व अन्य बनाम राजकीय उच्च प्रा.विद्यालय वसु जरिये प्रधानाध्यापक व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.08.2021

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या-36/2019, अनवान श्री केसरसिंह व अन्य बनाम राजकीय उच्च प्रा.विद्यालय वसु जरिये प्रधानाध्यापक व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार, गिर्वा द्वारा ग्राम वसु में स्थित भूमि के सम्बन्ध में पारित नामान्तरकरण संख्या-41 दिनांक 21.06.1992 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम वसु पटवार हल्का दांतीसर, तहसील गिर्वा का निवासी होकर कृषि व पशुपालन का कार्य करता है। अपीलार्थी के खातेदारी आधिपत्य की कृषि भूमि आराजी संख्या-2027, 2029, 1594, 2031 ग्राम वसु में स्थित होकर पिलाई हेतु आराजी संख्या-1595 रकबा 0.9350 है. किस्म नाड़ी स्थित है जिसमें बरसाती पानी एकत्रित होता है। यह तलाई 100 वर्ष पुरानी है। जिससे सिंचाई, पशुओं के पानी पीने के काम आती है। उक्त नाडी को अतिक्रमण से बचाने व संरक्षित करने हेतु लाखों रूपये लगाकर आराजी संख्या-1595 के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या-2031 में पाल का निर्माण करवाया एवं नाड़ी को गहरा करवाया। 2010-2011 में मनरेगा स्कीम में तहत प्रस्ताव लेकर उक्त नाड़ी हेतु 10.62 लााख की वित्तिय स्वीकृति करके जल संरक्षण हेतु राशि नाडी के संरक्षण हेतु खर्च की गई। उक्त नाड़ी के वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा आराजी संख्या-1959 रकबा 0.9350 है. भूमि को नामान्तरकरण संख्या-41 दिनांक 21.06.1992 से खेल मैदान बनाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या-1 के खाते में दर्ज करवा दी गई, जिसे निरस्त फरमाया जाकर आराजी संख्या-1959 को पुनः नाडी दर्ज किया जायें।

- अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2019 से प्रस्तुत अपील खारिज करते हुए निर्णय पारित किया कि ''**वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाडी के रूप में उपयोग नहीं होने के कारण इस भूमि की किस्म परिवर्तन करवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वसु को खैल मैदान हेतु नियमानुसार आवंटन की गई। वर्तमान में इस भूमि के चारों ओर ग्राम पंचायत दातीसर द्वारा खैल मैदान पर पक्की दीवार का निर्माण करवाया गया। मौके पर उक्त आराजी के दक्षित के तरफ कच्ची पक्की पाल बनी हुई है। ग्राम पंचायत दातीसर द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार समस्त ग्रामीणों की लम्बे समय से मांग रही कि स्थाई सीमा निर्धारण कर खैल मैदान का निर्माण करवाया जाये, जिस पर समस्त ग्रामवासियों की मांग के आधार पर ही यह भूमि खैल मैदान हेतु आंवटन की गई। तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर खैल मैदान बना हुआ है। नाडी के रूप में उपयोग नहीं आ रही है। अपीलीय नामान्तरकरण सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से रेस्पोडेंट सं.2 द्वारा फैसल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.06.92 नामान्तरकरण सं.41 ग्राम वसु का वैध आदेश से तहत ही खोला गया है। नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 41 ग्राम वसु निर्णय दिनांक 21.06.92 में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता है।**''

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 22.01.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दिनांक 24.01.2020 को दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेंट-2

उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 03.08.2021 को सुनी गई। प्रत्यर्थी-1 व 3 की लिखित प्रतिक्रिया पूर्व में पेशशुदा।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-16 का स्पष्ट रूप से उल्लघंन करते हुए पारित किया है। उक्त भूमि संरक्षित भूमि में आती है, उनका रिकार्ड का परिवर्तन किया जाना अथवा खातेदारी दर्ज किया जाना विधिक रूप से निषेध है तथा उक्त भूमि में नाडी के माध्यम से कृषि एवं पशुधन हेतु पानी उपलब्ध होता है जिसकी गावं वालों को महति आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों एवं न्यायिक दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया एवं नजरी नक्शा आराजी संख्या-2030 में बनी पाल का भी कोई अनुसरण नहीं किया है। यह तलाई 100 वर्ष पुरानी है। जिससे सिंचाई, पशुओं के पानी पीने के काम आती है। उक्त नाडी को अतिक्रमण से बचाने व संरक्षित करने हेतु लाखों रूपये लगाकर आराजी संख्या-1595 के दक्षिण दिशा में आराजी संख्या-2031 में पाल का निर्माण करवाया एवं नाड़ी को गहरा करवाया। 2010-2011 में मनरेगा स्कीम में तहत प्रस्ताव लेकर उक्त नाड़ी हेतु 10.62 लााख की वित्तिय स्वीकृति करके जल संरक्षण हेतु राशि नाडी के संरक्षण हेतु खर्च की गई। उक्त नाड़ी के वास्तविक तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा आराजी संख्या-1959 रकबा 0.9350 है. भूमि को नामान्तरकरण संख्या-41 दिनांक 21.06.1992 से खेल मैदान बनाने हेतु रेस्पोडेंट संख्या-1 के खाते में दर्ज करवा दी गई। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा लिखित प्रतिक्रिया में प्रस्तुत किया है कि खैल मैदान की बाउण्ड्रीवाल-पक्की का कार्य ग्राम पंचायत दातीसर द्वारा करवाया गया जिसकी लागत 14 लाख रूपये बताई गई है। खैल मैदान का कार्य सहमति से बाद स्वीकृत करवाया गया है। इस कार्य के पूर्ण होते ही उक्त अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने खेल मैदान की दीवार को जेसीबी लगाकर गिरा दी जिससे राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। यह सिर्फ एक ही परिवार के लोग है कोई अन्य ग्रामवासी इनके साथ नहीं है। भूमि विद्यालय के कब्जे मे सन् 1992 से है, तब से खैल मैदान के रूप में काम में लिया जा रहा है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पूर्णतया भौतिक सत्यापन कर निर्णय विद्यालय के पक्ष में दिया जिससे यथावत रखा जावें।

प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा लिखित प्रतिक्रिया में प्रस्तुत किया है कि समस्त ग्रामीणों की लम्बे समय से मांग रही है कि विद्यालय के खातें में खैल मैदान की सीमा निर्धारित कर खेल मैदान का विकास कराया जावें, साथ ही अन्यत्र कही जमीन नहीं होने से विद्यालय भवन भी इस खैल मैदान में बनाया जावें जिससे सबकी सहमति से खैल मैदान विकास का कार्य स्वीकृत कराया गया। खैल मैदान के विकास कार्य के मस्टररोल में इनके परिवारों ने निरन्तर कार्य किया है एवं देखरेख की है। खैल मैदान विकास कार्य वर्ष 2018 में बरसात के सीजन में करवाया गया जिसमें पानी टेंकर से मंगाया था। गांव में मेवशियों के पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तालाब है, एनीकट है, गावं के पशु यहां पानी पीने नहीं आते है क्योंकि यहां चारागाह नहीं है। अपीलार्थी की मुख्य मांग डामर रोड़ से इनकी बस्ती तक सीधा बाई पास रास्ता निकालना है जो कृषि भूमि से होकर निकलेगा, प्रार्थीयों ने काश्तकारों से बातचीत कर रास्ता निकाला भी। पर इस कार्य से इन्होनें खैल मैदान की दीवार को क्षति पहुंचाकर 130 फीट लम्बाई में रास्ता निकालना

चाहा जिससे विद्यालय प्रशासन द्वारा थाना में रिपोर्ट कराई गई। प्रार्थी रास्ते का विवाद खैल मैदान विकास में डाल रहे है।

प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजा वसु के आराजी संख्या-1959 राजस्व अभिलेख में किस्म नाडी अवश्य दर्ज थी, परन्तु इस भूमि में कभी पानी भरा नहीं रहता, ना इस भूमि का कोई उपयोग होता था। ऐसी स्थिति में ग्रामवासी की मांग पर इस भूमि की किस्त परिवर्तन की जाकर खैल मैदान हेतु आवंटित करवाई थी। इस भूमि के चारों ओर पक्की चारदीवार बनी होकर खैल मैदान के रूप में उपयोग में आ रही है। ग्राम पंचायत अनुसार भी इस भूमि पर पानी नहीं आता है, खैल मैदान का कार्य भी टेंकर से पानी मंगवाकर करवाया गया। अपीलार्थी इसकी आड़ में अपनी भूमि पर पहुंच हेतु बाईपास रास्ता बनाना चाहता है। नामान्तरकरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया है जो सक्षम आदेश के अनुसरण में स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उस आवंटन आदेश को कभी भी चुनौती नहीं दी गई। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें किसी की हक व अधिकार तय नहीं किया जा सकते है। इस हेतु सक्षम न्यायालय वाद प्रस्तुत कर ही तय किये जा सकते है। अपीलीय नामान्तरकरण सक्षम आदेश की अनुसरण मे खोला गया जिसे यथावत रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तार्किक निर्णय पारित किया गया जिसे यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओ की विस्तृत बहस, अन्य पक्षकारों से प्राप्त लिखित प्रत्युतर एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत परिशीलन किया।

अपीलीय नामान्तरकरण संख्या-41 दिनांक 21.06.1992 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त नामान्तरकरण मुताबिक आदेश क्रमांक प.6/आ/राजस्व/ग्रुप-3/89 जयपुर दिनांक 25.01.1992 एवं क्रमांक 192/494-95 दिनांक 18.02.1992 के अनुसरण मं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वसु के नाम स्वीकृत होकर दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या-41 दिनांक 21.06.1992 को चुनौती दी गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करते हुए नामान्तरकरण को यथावत रखा। अपीलीय नामान्तरकरण उक्त सक्षम आदेश के अनुसरण में स्वीकृत किया गया जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण पर किये गये अंकन से होती है। उक्त सक्षम आदेशों को अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई हो ऐसा कोई दस्तावेज न ही न्यायालय हाजा एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया है।

प्रत्यर्थी-1 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वसु के प्राप्त लिखित प्रत्युतर अनुसार भूमि विद्यालय के कब्जे मे सन् 1992 से है, तब से खैल मैदान के रूप में काम में लिया जा रहा है। ग्राम पंचायत वसु द्वारा लिखित प्रत्युतर से अवगत कराया कि समस्त ग्रामीणों की लम्बे समय से मांग रही है कि विद्यालय के खातें में खैल मैदान की सीमा निर्धारित कर खेल मैदान का विकास कराया जावें, साथ ही अन्यत्र कही जमीन नहीं होने से विद्यालय भवन भी इस खैल मैदान में बनाया जावें जिससे सबकी सहमति से खैल मैदान विकास का कार्य स्वीकृत कराया गया। उक्त कथनों की जांच हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार, गिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर खैल मैदान बना हुआ है। नाडी के रूप में उपयोग नहीं आ रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वसु को आवंटित उक्त विवादित भूमि मौके पर खेल मैदान

हुआ है और वह नाडी के रूप में उपयोग नहीं आ रही है। जहां भूमि के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति है, वहा अपने कथनों को प्रमाणित करने का दायित्व एवं भार सर्वदा अपीलार्थी पर होता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित विधिक स्थिति, प्रत्यर्थीगण से प्राप्त लिखित प्रत्युतर/प्रस्तुत बहस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी अपने कथनों को मय दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित करने में असफल रहा है।

अपीलीय नामान्तरकरण वैध आदेश के अनुसरण में स्वीकृत किया गया है, उन आदेशों को कभी चुनौती नहीं दी गई। उक्त नामान्तरकरण पारित करने में एवं उक्त नामान्तरकरण को यथावत रखने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

फलस्वरूप उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर